न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 36 / 2022

उदयसिंह पुत्र लखूसिंह राजपूत निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राज.)

.........वादी

बनाम

1. हरिसिंह दत्तक पुत्र कल्याणसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. अनोप कंवर पत्नी स्व. चन्द्रसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. अमरसिंह पुत्र स्व. चन्द्रसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
4. गोकूलसिंह पुत्र स्व. चन्द्रसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
5. मगुकंवर पुत्री स्व. चन्द्रसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
6. मांगुकंवर पुत्री स्व. चन्द्रसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
7. राजूकंवर पुत्री स्व. चन्द्रसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
8. लिछमणसिंह पुत्र स्व. चन्द्रसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
9. अंजूकंवर पुत्री ओमसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
10. संजू कंवर पुत्री ओमसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
11. गणेशकंवर पुत्री ओमसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
12. किरणकंवर पुत्री छतुसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
13. भवानीसिंह पुत्र छतुसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
14. सायरकंवर पत्नी छतुसिंह राजपूत निवासीगण जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
15. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

...........प्रतिवादी

दावा चिर निषेधाज्ञा

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़, अमरसिंह राठौड़ वादी की ओर से व
(2) प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के विरूद्ध एक पक्षीय
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 30/1/25

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

-: निर्णय :-

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत खसरा नंबर 962/694 तादादी 6.0576 हैक्टेयर वाके रोही जोगलसर में स्थित चला आ रहा है। उक्त खेत के पश्चिमी ओर कटाणी रास्ता ग्राम जोगलसर से ग्राम डोडू की तरफ जाता है। वादी के खेत में आवागमन के लिये यही एक कटाणी मार्ग है तथा खेत खसरा नंबर 693, 692, 691 व 1019/685 वाके रोही जोगलसर के खेतों के पश्चिम ओर कटाणी मार्ग से इन खेतों में आवागमन का एक मात्र रास्ता है। खेत खसरा नंबर 686 के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 वादी के खेत में से जबरन नया रास्ता निकालने के लिये आमादा हो रहे है तथा बार–बार धमकियां दे रहे है। जबकि खेत खसरा नंबर 686 के खातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 वादी के खेत खसरा नंबर 962/694 रोही जोगलसर में से आवागमन नहीं करते है तथा न ही प्रतिवादीगण के आवागमन के लिये वादी के खेत में से वर्तमान में कोई रास्ता है। प्रतिवादी जबरन रास्ता निकालने के लिये आमादा हो रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 खेत खसरा नंबर 962/694, 693, 892, 691 के बिचोबीच जबरन नया रास्ता निकालकर वादी एवं अन्य खातेदारान को भारी नुकसान पहूंचाने की कुचेष्ठा में है, जबकि प्रतिवादीगण का अपने खेत में आवागमन का एक मात्र रास्ता कटाणी मार्ग ग्राम जोगलसर से ग्राम डोडू जाने वाला ही रास्ता है। प्रतिवादीगण जबरन वादी के खेत खसरा नंबर 962/694 रोही जोगलसर में से नया रास्ता कायम कर वादी को नुकसान पहूंचाने के लिये धमकियां दे रहे है। वादी ने दिनांक 12.05.2022 को प्रतिवादीगण से वादी के खेत खसरा नंबर 962/694 में नया रास्ता नहीं निकालने के लिये निवेदन किया और यह भी कहा कि कटाणी मार्ग के अलावा वादी के खेत में नया रास्ता कायम नहीं करे, न ही सींव आदि को तोड़–फोड़ करे। जिस पर प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया तो वादी ने यह चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 स्वयं न्यायालय में उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राजपैरोकार ने अपना जबाब राज्य हित निहित नहीं होना पेश (अंकित) किया। वादी ने मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 के रूप में अपना सशपथ बयान न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया और दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति खेत खसरा नंबर 962/694 प्रदर्श–1 व जमांबदी की प्रमाणित प्रति खेत खसरा नंबर 686 रोही जोगलसर प्रदर्श–2 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये व नक्शा ट्रैस की फोटोप्रति दावा में पेश की गयी है

बहस अंतिम सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादगत खेत खसरा नंबर 962/694 वाके रोही जोगलसर की भूमि वादी के खातेदारी व कब्जा, काश्त की है, उक्त खेत के पश्चिमी तरफ कटाणी रास्ता ग्राम जोगलसर से ग्राम डोडू की तरफ जाता है और आवागमन का यही एक मात्र कटाणी रास्ता है तथा खेत खसरा नंबर 693, 692, 691 व 1019/685 वाके रोही जोगलसर के खेतों के पश्चिमी ओर स्थित कटाणी रास्ता से ही खातेदारान आवागमन करते है तथा खेत खसरा नंबर 686 के खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 वादी के खेत में से जबरन नया रास्ता निकालने के लिये आमादा हो रहे है जबकि वादी के खेत में उक्त कटाणी रास्ता के अलावा अन्य कोई आवागमन का रास्ता नहीं है और प्रतिवादीगण का आवागमन वादी के खेत के पश्चिमी तरफ स्थित कटाणी रास्ता ग्राम जोगलसर से ग्राम डोडू जाने वाला ही रास्ता है और उसी रास्ते से प्रतिवादीगण अपने खेत के लिये आवागमन करते है, प्रतिवादीगण को वादी के खेत में से नया रास्ता निकालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी वृद्ध व शान्तिप्रिय व्यक्ति है। प्रतिवादीगण ताकतवर व्यक्ति है जो लाठियों के बल पर वादी के खेत में नया रास्ता निकालने के लिये आमादा हो रहे है और यदि प्रतिवादीगण वादी के खेत में से रास्ता निकालने में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी, इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वादी के खेत खसरा नंबर 962/694 तादादी 6.0576 हैक्टेयर भूमि वाके रोही जोगलसर में से नया रास्ता नहीं निकाले और न ही सींव की कोई तोड़–फोड़ करें। वादी का दावा डिक्री किया जावे।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, वादी की बहस पर मनन किया, वादी साक्ष्य पीडब्ल्यू–1, दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 व दावा में प्रस्तुत नक्शा ट्रैस की फोटोप्रति का अवलोकन किया। वादी ने अपने सशपथ बयान में दावा में वर्णित तथ्यों के बारे में कथन किया है और प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 व नक्शा ट्रैस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी के खेत खसरा नंबर 962/694 वाके रोही जोगलसर की भूमि के पश्चिमी तरफ ग्राम जोगलसर से ग्राम डोडू जाने वाला कटाणी मार्ग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है और उक्त कटाणी मार्ग के अलावा वादी के खेत में अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण का खेत खसरा नंबर 686 वादी के खेत से काफी खेत दूर है और प्रतिवादीगण का खेत खसरा नंबर 1019/685 के चिपता ही पूर्वी तरफ है और प्रतिवादीगण ग्राम जोगलसर से ग्राम डोडू जाने वाले कटाणी रास्ता से होते हुये अपने खेत में आवागमन करते है। प्रतिवादीगण को वादी के खेत में से नया रास्ता निकालने का कोई अधिकार नहीं है। वादी ने अपना दावा मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाता है और प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वादी के खेत खसरा नंबर 962/694 तादादी 6.0576 हैक्टेयर वाके रोही जोगलसर तहसील बीदासर की भूमि के पश्चिमी तरफ स्थित कटाणी रास्ता के अलावा जबरन वादी के खेत में से नया रास्ता नहीं निकाले और न ही सींव की तोड़–फोड़ आदि करें और न ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादी के कानूनी हकूक के विपरित असर पड़े। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक ...30/1/25... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

उदयसिंह बनाम हरिसिंह आदि

दावा चिर निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 36 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री रामसिंह राठौड़, अमरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के विरूद्ध एक तरफा मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादी के खेत खसरा नंबर 962 / 694 तादादी 6.0576 हैक्टेयर वाके रोही जोगलसर तहसील बीदासर की भूमि के पश्चिमी तरफ स्थित कटाणी रास्ता के अलावा जबरन वादी के खेत में से नया रास्ता नहीं निकाले और न ही सींव की तोड़–फोड़ आदि करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज........—........मुबलिग........—........बाबत........—........खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—........को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/1/25........

दस्तखत........ उपखण्ड अधिकारी बीदासर, (चूरू)

ओहदा........

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)